


24

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन
PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2017/0023

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी



भारतसिंह पिता श्री मोड़सिंहजी, जाति राजपूत
आयु 58 वर्ष, धंधा कृषि
निवासी- ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास
----- निगरानीकर्ता/आवेदक
विरुद्ध

- 1- दरबारसिंह पिता नाथूसिंह, जाति राजपूत
आयु 35 वर्ष, धंधा कृषि
निवासी- ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास
- 2- मध्य-प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय, देवास
---रेस्पान्डेन्ट्स/अनावेदकण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व सहिता 1959
न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला देवास
द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रं 23/ए-12/15-16 मे बनाया स्थल
पंचनामा दिनांक 02-06-2016 व पारित आदेश दिनांक
19-09-2016 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निगरानी।


केम्प उज्जैन पर
प्रदत्त 05/12/17

21/12-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर / देवास / निगरानी / भूरा / 2018 / 0023

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-1-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील व जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में लगभग एक साल विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण दायर करने में हुये विलम्ब का बताया कारण सद्भाविक नहीं है तथा विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>